दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली मुख्य योजना (एम.पी.डी.)-2021, पैरा 4.4.3ए के तहत आवासीय प्लॉट–प्लॉटेड हाऊसिंग में अधिकतम ग्राउंड कवरेज, एफएआर, आवासीय परिसरों के अन्दर रिहायशी इकाइयों की संख्या और भवन/भवनों की ऊंचाई जैसे नियंत्रण निर्धारित किये जाते हैं।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य" के मामले में आई.ए. संख्या 2212-2213 में 1985 की रिट याचिका (सी.) संख्या 4677 में 14 मार्च 2008 के निर्णय के अनुसार फैसला सुनाया कि ऊंचाई और एफ.ए.आर. के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, रिहायशी इकाइयों (डीयू) पर निर्धारित सीमा के साथ तीसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति है। इसे यूबीबीएल-2016 में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए रिहायशी इकाइयों की संख्या की अनुमति तालिका निम्नानुसार है।

क्र. सं.	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज %	एफएआर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत डीयू की सं.
1.	50 तक	90	350	3
2.	50 से अधिक 100 तक	90	350	4
3.	100 से अधिक 250 तक	75	300	4
4.	250 से अधिक 750 तक	75	225	5
5.	750 से अधिक 1000 तक	50	200	7
6.	1000 से अधिक 1500 तक	50	200	7
7.	1500 से अधिक 2250 तक	50	200	10
8.	2250 से अधिक 3000 तक	50	200	10
9.	3000 से अधिक 3750 तक	50	200	10
10.	3750 से अधिक	50	200	10

दिल्ली एकीकृत भवन उप विधि (यू.बी.बी.एल.)-2016 और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुरूप उपर्युक्त मानदंडों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक (भवन)

दिनांक: 27.02.2023

दिल्ली विकास प्राधिकरण